बैठक

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2/2017/13/5/1998टी0सी0-का-1-2017

प्रेषक,

कामरान रिजवी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2017

विषय :-सरकारी सेवकों द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/13/5/1998टी0सी0-का-1-2017, दिनांक 21 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा सभी सरकारी सेवकों से दिनांक 15.03.2017 की स्थिति के अनुसार उनकी चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण तत्काल प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-24 एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप संख्या-I एवं II संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि कृपया अपने विभाग की उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/विवरण दिनांक 03.04.2017 तक अपने स्तर पर प्राप्त कर लें तथा कृत कार्यवाही की समेकित सूचना प्रारूप संख्या-II पर दिनांक 06.04.2017 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

3. उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा वांछित सूचना अभी तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नहीं कराई गई है। मात्र सचिवालय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, कृषि तथा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें भी समूह 'क' एवं समूह 'ख' के समस्त कार्मिकों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

4. सूच्य है कि प्रश्नगत कार्यवाही राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में दिनांक 03.05.2017 को 1.15 से 1.45 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उनके सभा कक्ष में एक बैठक आहूत की गई है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग/अधिष्ठानीय नियन्त्रणाधीन समस्त कार्मिकों से प्रारूप संख्या-I पर सूचना प्राप्त कर लिए जाने तथा समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों की समेकित सूचना **(**प्रारूप संख्या-II पर**)** सहित उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। अंतिम अवसर के रूप में इस पर आपकी व्यक्तिगत रूचि अपेक्षित है। किसी भी शिथिलता को प्रतिकूल तथ्य के रूप में देखा जायेगा।

भवदीय,

कामरान रिजवी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in